

कार्यालय - प्राचार्य, शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय

दन्तेवाड़ा, जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Website: www.gmkgc.in; Emall: gmkgcdantewada@gmail.com

CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS

- 1. All students of the Govt. Mahendra Karma Girls College, Dantewada should maintain dignified behavior and the standard of discipline in the college.
- 2. Ragging or eve-teasing is strictly prohibited and if any ones found indulging in such activities it is punishable.
- 3. A student must maintain 75% attendance in every subject or she may be debarred from university examination.
- 4. Every student should enter the premises of the college decently dressed and should carry an identity card provided by the college.
- 5. Students are expected to read the entire circular/notices on the college notice board or on the website of the college.
- 6. Every student should pay full attention to his studies, as well as participate in extra-curricular activities organized by the college.
- 7. They should not indulge in an activity that may lead to discrimination, harassment, or break communal harmony.
- 8. Consumption of any kind of narcotic substance is strictly prohibited within the boundaries of the college.
- 9. Students are expected to respect their teachers and other staff.
- 10. The student should not use a mobile phone inside the examination hall, library, and classroom.
- 11. Students who come to college in a vehicle are advised to keep them in the stand assigned for the purpose.
- 12. Students are forbidden from indulging in any type of political activity inside the campus.
- 13. Students should hand over any item that is found in any place on the campus, to the office.
- 14. Students can approach the Grievance Redressal Cell or the Student Help Desk in any case.
- 15. The student must follow the rules and regulations as directed by the college from time to time.

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय वन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) छ.भ.

छात्राओं के लिए आचार संहिता

- 1. सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में सम्मानजनक व्यवहार और अनुशासन का स्तर बनाए रखना चाहिए।
- 2. रैगिंग या छेड़खानी सख्त वर्जित है और यदि कोई इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो यह दंडनीय है।
- 3. प्रत्येक छात्रा को प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति बनाए रखनी आवश्यक है अन्यथा उसे विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- 4. प्रत्येक छात्रा को कॉलेज के परिसर में शालीनता से प्रवेश करना चाहिए और कॉलेज द्वारा प्रदान किये गये पहचान पत्र को अपने साथ रखना चाहिए।
- 5. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी सूचनाओं / नोटिस को कॉलेज के नोटिस बोर्ड या कॉलेज की वेबसाइट पर पढ़ें।
- 6. प्रत्येक छात्रा को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, साथ ही कॉलेज द्वारा आयोजित पाठचेतर गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
- 7. उन्हें ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे भेदभाव, उत्पीड़न या सांप्रदायिक सद्भावना भंग हो सकती है।
- 8. महाविद्यालय की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- 9. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का सम्मान करें।
- 10. छात्राओं को परीक्षा हॉल, पुस्तकालय और कक्षा के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- 11. जो छात्रा वाहन से कॉलेज आते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उन्हें इस हेतु निर्धारित स्टैंड में रखें।
- 12. छात्राओं को परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से मना किया जाता है।
- 13. छात्राओं को परिसर में किसी भी स्थान पर मिलने वाली कोई भी वस्तु कार्यालय को सौंपनी चाहिए।
- 14. छात्राओं किसी भी मामले में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ या छात्र सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- 15. छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देशित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

इनि च्या च्या शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय क्लेबाझा (दक्षिण बस्तर) छ.भ.